

"युद्धे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेदेल फिलिप्स

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 11 अगस्त 2024 रविवार

सम्पादकीय

मनीष सिसोदिया को जमानत

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च न्यायालय में मिली जमानत राजनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय राजधानी के व्यापक समाज ने एक समय मनीष सिसोदिया को भी बहुत उम्मीद के साथ देखा था। नैतिकता के बल से ही वह अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ एक वैकल्पिक ताकत बनकर उभरे थे। वह लगभग 17 महीनों की जद्दोजहद के बाद जेल से बाहर आए हैं। न्यायालय ने पूरी तरह से आश्चर्य छोड़ने के बाद ही दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मामलों में जमानत दी है। दरअसल, पहले ही लगने लगा था कि सिसोदिया को ज्यादा समय तक सलाखों के पीछे रखना जांच एजेंसियों के लिए संभव नहीं होगा। आश्चर्य नहीं कि न्यायमूर्ति बीआर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने जमानत याचिका को विचारणीय मानते हुए कहा कि सिसोदिया को अब जमानत मांगने के लिए सुनवाई अदालत भेजना न्याय का मजबूत होगा। वास्तव में, यह सिसोदिया के लिए पूरी रिहाई नहीं है, उन्हें आरोप मुक्त होने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि, यह माना जा रहा है कि सशर्त नियमित जमानत उनकी राजनीतिक ताकत को लौटा लाएगी।

प्रवर्तन निदेशालय जमानत से खुश नहीं है, अंततः उसकी कोशिश थी कि सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय या मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से रोका जाए, पर न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अब यह इतिहास में दर्ज हो गया है कि सीबीआई और इंडी ने आखिर तक यही प्रयास किया कि जमानत न हो सके, पर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचकर जमानत मांगने की यह तीसरी कोशिश रंग लाई है। वैसे, एजेंसियों को जमानत रोकने पर जोर लगाने के बजाय दोष सिद्ध करने पर जोर देना चाहिए था, अगर पूरे प्रमाण के साथ मुकदमा शुरू हो जाता, तो सिसोदिया का बाहर आना मुश्किल हो जाता। अतः परोक्ष रूप से इंडी व सीबीआई की सुरत चाल ने सिसोदिया की रिहाई को मुमकिन बनाया। एक पूर्व उप-मुख्यमंत्री को लगभग 17 महीने जेल में रखने के बावजूद सुनवाई और सजा की प्रक्रिया का किसी मुकाम पर न पहुंच पाया चिंता व विचार का विषय है। चिंता इसलिए कि जांच एजेंसियों की ऐसी कार्रवाई पर देश का खूब समय और संसाधन खर्च होता है, पर लोग कोई ठोस धारणा नहीं बना पाते हैं। एक लंबी फेरिस्त है, ऐसे नेताओं की, जो सनसनीखेज ढंग से फंसे, जेल गए और बाहर निकल आए। एजेंसियां देखती रह गई हैं। इसी फेरिस्त में अब एक नया नाम जुड़ गया है।

कुल मिलाकर, अभी न दूध का दूध हुआ है और न पानी का पानी। इंतजार करना होगा। यह भारतीय राजनीति के लिए चिंता की बात है। शक की चादर ओढ़े न जाने कितने नेता सक्रिय हैं। गौर कीजिए, तो राजनीतिक विचारी भी अपनी पूरी सफाई के पक्ष में नहीं है। सबके पास अपने-अपने दांगे हैं, जिनके बचाव की त्रासद राजनीति लोगों और लोकतंत्र के समग्र विश्वास में संघ बना रही है। दाग छुड़ाने के बजाय फिलाने की राजनीति अब पीछे छूट जानी चाहिए। देश में विकास की गति बढ़ गई है, तो नेताओं से उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, पर क्या जांच व कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियां देश के साथ कदमताल के लिए तैयार हैं?

आम मुख्यमंत्रियों में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत को 2027 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो एक-एक बच्चे के लिए शान्तावर सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों के फीस को कंट्रोल में रखना होगा। अगर कोई यह कहता है कि घसमी को शिक्षित और स्वस्थ किए बिना भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे तो वो बड़ा जुमलाबाज होगा। बीजेपी को लगता है कि मनीष सिसोदिया को रोककर दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलाएंगे देंगे। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो वो भुलावने में हैं। इसके लिए मैं, अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। बीजेपी वालों को बैसा नहीं करने दूंगा। मैं, लोगों से कहूँ कि सीएम अरविंद केजरीवाल, इसलिए जेल में न हों है कि उन्होंने बुरे काम किए, बल्कि वो जेल में इसलिए हैं कि दिल्ली वालों के लिए बेतर शिखा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की। बहरहाल यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली और देश की जनता इसे किस रूप में लेती है।

खेल के मैदान और खिलाड़ी



—मनोज सिंह—

देश में प्रतिभाशाली युवाओं की कमी नहीं है देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे देश के युवाओं ने अपनी कलाविशेषता का परचम लहराया है लेकिन दुर्घट अंतर्राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष दिखाने का मौका आता है तो दुःख होता है कि यह वही भारत देश है जहां की आबादी 140 करोड़ है। दरअसल खिलाड़ियों की उत्पत्ति का स्थल विद्यालयों में बच्चों की खेलने वाली फील्ड पर निर्भर करती है आज देश में भ्रष्ट राजनीति के चलते ऐसे लाखों विद्यालयों को मान्यता मिली हुई है जिनके पास अपने विद्यालय परिसर में फील्ड नहीं है जिसमें बच्चे खेल सके सख्त नहीं है उठता है कि जब बच्चों को बपान में खेलने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो वह युवावस्था में अपनी प्रतिभा



कैसे दिखाएंगे देश के अधिकांश प्राइमरी विद्यालयों के पास फील्ड नहीं है किसी तरह से प्राइमरी विद्यालय के लिए लोगों ने जमीन दे दिया या संबंधित अधिकारियों ने कहीं थोड़े से बंजर भूमि की तलाश करके विद्यालय स्थापित कर दिया और अपनी जिम्मेदारियां से मुक्ति पा लि देश की नौनिहाल बच्चों की स्वर्गीय विकास की चिंता राजनेता, अधि

कारी, समाज और समाज की जिम्मेदार लोगों ने छोड़ दिया तो हम उनसे कैसे उम्मीद करे कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड पदक लेकर आएंगे। यहां के हजारों युवा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं और कपड़ों बिना चढ़ जाते हैं और कावड यात्रा में नौन स्टॉप बिना जूता चपल के नंगे पैर 50 किलोमीटर से अधिक

श्रद्धा में दौड़ लगाकर जल चढ़ाते हैं। देश के खेल मंत्रालय को अगर पहाड़ों पर से और कावड यात्रा के कलावातन युवाओं को चिन्हित करने के अच्छे ट्रेनिंग देकर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भेजते तो निसंदेह दो-चार गोल्ड पदक तो ले ही आते। देश में आस्था घुस पर है कि युवाओं को नाला हो लेकिन बेरोजगारी का स्वर्ण पदक दिख में

कि हमारा देश अधिक से अधिक गोल्ड जीत कर ले आए लेकिन हम इस बात पर नहीं ध्यान देते हैं जो परवाह करते हैं कि हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बच्चों को खेलने के लिए थोड़ा सा त्याग करके जमीन कैसे उपलब्ध कराया जाए वही शहरों में बहुत से प्राइमरी स्कूल इस तरह के चल रहे हैं जिनके पास फील्ड नाम की कोई चीज नहीं दरअसल समाज में अधिक से अधिक पैसा कमजोर की चाहत में लोगों ने बच्चों के शिक्षा के साथ उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना बंद कर दिया।

सबसे अधिक हमारी ही झोली में है इसका सारा दोष सरकार पर नहीं हमें लगे भी समाज के जिम्मेदार लोग दोगी है क्योंकि आज बहुत से विद्यालय अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के स्थान पर अच्छा सा अच्छा सर्टिफिकेट देने के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक बच्चे उनके संस्थान में शिक्षा ग्रहण करें और वहां की संस्था आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए भले ही बच्चे कहीं सर्टिफिकेट लेकर दर-दरकी की टोकर खाते रहें।

स्कूलों को मान्यता प्रदान करने वाली सरकारी संस्थान बच्चों के कमरों के नमक तो बना दिए लेकिन उन कमरों के आधार पर कितना फील्ड होना चाहिए इस पर कमी विचार नहीं होता प्रायः नई विद्यालय कुछ कमरों के चलना शुरू होते हैं और धीरे-धीरे जो भी जमीन उसे विद्यालय के पास होती है उसे पर कमर तो बन जाते हैं बच्चों की संस्था बंद जाती है लेकिन बच्चों को खेलने की फील्ड बिलुप्त हो जाती है ऐसे में हम कैसे उम्मीद करे कि हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक लायेंगे।

हाल ही में खेल महोत्सव मनाया गया लेकिन यह सुनने में नहीं आया कि जन्मपत्र में कौन सा बच्चा राष्ट्रीय मानक के करीब नजर आया तथा हर जिले से जो प्रतिभाशाली बच्चे उनको प्रदेश स्तर पर खेलने का मौका मिला था नहीं मिला उनके सुख सुविधा की व्यवस्था की गई या नहीं की गई इस तरह की कोई खबर सुनने को नहीं मिला केवल खेलों इंडिया खेलों से देश का भला नहीं होगा इसके लिए खेलों बच्चों खेलो आगे बढो बच्चों आगे बढो की पछिपाटी पर ध्यान देकर और खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के ख्यात-पान और नए पड़ेगा नहीं हमारे देश के बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम रोशन होगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांतों का दायरा



—डॉ. केपी सिंह—

सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह देश में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने, आर्थिक हितों की रक्षा करने, क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने और घरेलू सुरक्षा वातावरण को सुचारुने के लिए दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करे। इसके साथ ही, सरकार को प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित संकटों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाने चाहिए। स्वयं राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांतों (एनएससी) का उद्देश्य देश और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।



कैदी पंच की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स की सिफारिश पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक शीर्ष सलाहकार नियम के रूप में 1998 में 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' (एनएससी) का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्र. आनंदी करती थे। जिसमें वरिष्ठ, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री शामिल थे। हालांकि, एनएससी ने आज तक एनएससी का लिखित दस्तावेजीकरण नहीं किया है, जिससे हितवाक्य अपना अभिदेश प्राप्त कर सके और सामरिक महत्व की रणनीति तैयार कर सके। एनएससी अभी तक मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं तक ही सीमित रही है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और सैन्य सुरक्षाओं तथा कूटनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शरम सनन द्वारा 2015 में तैयार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के मसौदे में दीर्घकालिक योजनाएं और नियंत्रण लेने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों, जिनमें घरेलू सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, सैन्य तैयारी, आर्थिक सुरक्षा और पारिस्थितिक सुरक्षा शामिल हैं, की पहचान की गई थी। यह तथ्य है कि कूटनीतिक मामलों और आर्थिक तथा पर्यावरण से जुड़े सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक राष्ट्रीय सन्तुलन बन गई है, लेकिन घरेलू सुरक्षा की क्षितिप राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी राजनीति के एजेंडे से ऊपर नहीं उठ पाई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवेदनशील रक्षा मामलों पर महत्वपूर्ण अज्ञान राजनीतिक और सामरिक विमर्श में खुले तौर पर उभरकर सामने आ रहे हैं।

पूरे देश में विशेषकर, उत्तर-पूर्व और उत्तरी और पश्चिमी भारत के सीमावर्ती राज्यों में, नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़े पैमाने पर हो रहा है। उचित और पर्याप्त नीतिगत हस्तक्षेप की कमी के कारण नशीली दवाओं की लत में फंसे बेरोजगार युवाओं ने पहले ही बहुप्रचारित 'जनसांख्यिकीय लामांश' को बेअसर कर दिया है। कहरपंथी और अलगाववादी तत्व, जो धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में वित्तीय प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण और धर्म की गलत व्याख्या करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सख्त प्रतिबंधों के पाठ हैं। भेदभावपूर्ण और अपमानजनक धार्मिक रीति-रिवाजों और विकृत शिक्षा का घरेलू सुरक्षा परिदृश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उन्हें धर्म के अंदर से ही सुधारों के बढ़ावा देकर या उचित कानूनी अधिनियमों के माध्यम से बदलने की आवश्यकता है।

कैदी पंच की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स की सिफारिश पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक शीर्ष सलाहकार नियम के रूप में 1998 में 'राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद' (एनएससी) का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्र. आनंदी करती थे। जिसमें वरिष्ठ, रक्षा, गृह और विदेश मंत्री शामिल थे। हालांकि, एनएससी ने आज तक एनएससी का लिखित दस्तावेजीकरण नहीं किया है, जिससे हितवाक्य अपना अभिदेश प्राप्त कर सके और सामरिक महत्व की रणनीति तैयार कर सके। एनएससी अभी तक मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा योजनाओं तक ही सीमित रही है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों और सैन्य सुरक्षाओं तथा कूटनीति पर अधिक ध्यान केंद्रित रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शरम सनन द्वारा 2015 में तैयार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के मसौदे में दीर्घकालिक योजनाएं और नियंत्रण लेने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों, जिनमें घरेलू सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, सैन्य तैयारी, आर्थिक सुरक्षा और पारिस्थितिक सुरक्षा शामिल हैं, की पहचान की गई थी। यह तथ्य है कि कूटनीतिक मामलों और आर्थिक तथा पर्यावरण से जुड़े सुरक्षा के मुद्दों पर एक व्यापक राष्ट्रीय सन्तुलन बन गई है, लेकिन घरेलू सुरक्षा की क्षितिप राजनीतिक बयानबाजी और चुनावी राजनीति के एजेंडे से ऊपर नहीं उठ पाई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवेदनशील रक्षा मामलों पर महत्वपूर्ण अज्ञान राजनीतिक और सामरिक विमर्श में खुले तौर पर उभरकर सामने आ रहे हैं।

पश्चिम में प्रसंगिक हो गया है। पूरे देश में विशेषकर, उत्तर-पूर्व और उत्तरी और पश्चिमी भारत के सीमावर्ती राज्यों में, नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़े पैमाने पर हो रहा है। उचित और पर्याप्त नीतिगत हस्तक्षेप की कमी के कारण नशीली दवाओं की लत में फंसे बेरोजगार युवाओं ने पहले ही बहुप्रचारित 'जनसांख्यिकीय लामांश' को बेअसर कर दिया है। कहरपंथी और अलगाववादी तत्व, जो धर्म की स्वतंत्रता की आड़ में वित्तीय प्रलोभन के आधार पर धर्मांतरण और धर्म की गलत व्याख्या करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सख्त प्रतिबंधों के पाठ हैं। भेदभावपूर्ण और अपमानजनक धार्मिक रीति-रिवाजों और विकृत शिक्षा का घरेलू सुरक्षा परिदृश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उन्हें धर्म के अंदर से ही सुधारों के बढ़ावा देकर या उचित कानूनी अधिनियमों के माध्यम से बदलने की आवश्यकता है। भारत का लगभग आधा भू-भाग हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है, जबकि गर्मियों के महीनों में देश के कई हिस्सों में पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध नहीं होता है। जल-संचयन की कमी के कारण जल-स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं और भूमिगत जलस्तर प्रतिवर्ष नीचे खिसक रहा है। पानी की कमी दुनियाभर में समस्या के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। जल-संसाधनों का प्रबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा हितधारकों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।

चुनौती देता विपक्ष?



—नीरज कुमार दुबे—

संसद का निर्णय सत्र इस बात के लिए खासतौर पर इस विषय को जांचे कि इस दौरान कई बार ऐसा देखने को मिला कि लोकसभा में स्पीकर और विरोध और राज्यसभा में समापित जगदीप बनखसु से विपक्षी सदस्यों ने जानबूझकर उलझने का प्रयास किया। दोनों सदनों के समापितियों पर विपक्ष ने तमाम तरह के आक्षेप लगाए के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। संभवतः इसीलिए किया गया ताकि आसन्न की निष्पत्ता को संदेह के कठघरे में खड़ा किया जा सके। खास बात यह है कि विपक्षी सदस्यों ने सदन की सदस्यता की शपथ लेते समय सख्त आन की प्रति शपथ में ले रखी थी लेकिन उसी सख्त आन के नियमों से भी सदन के संचालन की नियम पुस्तिका में लिखे निर्देशों का पालन करने में वह कोताही बरतते हैं। ताजा मामला बालाबहादुर पाटी की सांसद याचना का है कि जिन्होंने राज्यसभा के समापित जगदीप ए. निखड को नाला हो विचार में घसीटा कर गलत प्रभावित कायम की। इस बार के सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यवाही पर गौर करेंगे तो ऐसा लगना कि सरकार को छोड़ कर विपक्ष भी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा समापित से सीधे निडले रहने की रणनीति पर चल रहा है।

नेता मूल मुद्दों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे। नेताओं के संबन्धनों में सुविधियों में आने लायक और उनके शीर्षकों को याचन बनाने लायक सामग्री तो थी लेकिन सदन की दायित्व समस्याओं का हल सुझाने या मविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाले सुझावों का नितात आमना था। देखा जाये तो संसद की कार्यवाही के संचालन के लिए का संसदों के रुपया खर्च होना है इसलिए का संसदों को चाहिए कि वह सिर्फ अपने राजनीतिक प्रमुख को बढ़ाने पर ध्यान देने की बजाय जनहित के मुद्दों को उठाने और जनता की समस्याओं का हल निकालवाने को प्राथमिकता दें।

हालांकि वर्तमान लोकसभा में एक बात यह अच्छी नजर आ रही है कि सरकार के साथ-साथ विपक्ष भी खूब सक्रिय नजर आ रहा है। पिछली दो लोकसभा में सूक्ति औपचारिक रूप से कोई नेता प्रतिपक्ष ही नहीं था इसलिए विपक्ष प्रायः मूर्खता में नहीं दिख रहा था। उस समय संसद में बिना बहस के ही कई अहम विषयों का विचार हो जा रहा है। लेकिन अब लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद से खुलने गयी स्थिति यह जगह ले के मुद्दों को प्रमोवी रहे और उलट से सरकार अपने मन मुताबिक नीति कर पा रही है। वैसे यह अच्छी बात है कि अब जिन विषयों पर आम राय नहीं बन रही है उन्हें संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा रहे है। गौरतलव है कि पिछली लोकसभा में ऐसा देखने को नहीं मिला था।

इसके अलावा, इस बार यह भी देखने को मिला कि विभिन्न विधायकों को चर्चा के दौरान एक दूसरे पर हमला कर रहे पक्ष-विपक्ष के

ऊंची है मंजिल मेरी

ऊंची है मंजिल मेरी, राह में खुद बनाऊँगी, डगमगा जाऊँ अगर कहीं, तो फिर खड़ी हो जाऊँगी, आगे बढ़ना सीखा है मैंने, पीछे कैसे मुड़ जाऊँगी, ना मानूँगी हर कमी, सफलता तभी तो पाऊँगी, तैयार है पूरी मेरी, मेहनत करके जाना है, सपना है यह मेरा, मंजिल तक मुझे जाना है, रहे तो है कई मगर, मंजिल मेरी एक है, बढ़ते रहना आगे निरंतर, रास्ता भी होना नेक है। —प्रियंका कोशिया



बिना विलंब किए हो पीड़ितों की मदद -सीएम योगी



गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और स्वयं निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

दिव्यजगन्नाथ स्मृति भवन समारंगण में आयोजित जनता दर्शन के दौरान समस्या लेकर सीएम योगी से मिलने पहुंचे लोगों को यत्रोसे का मिलाना स्वयं मिला। इस्तीनात से सबकी बात सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को आश्वासन दिया कि किसी को भी घराने की आवश्यकता नहीं है।

मुख्यमंत्री ने मृतक आश्रित महिलाओं को बांटा चेक, एक अन्य बीमार को दिया डेढ़ लाख




मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में सभी मृतक आश्रित महिलाओं को क्रमशः पांच और दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि सौंपी और बताया दिवाला फिल दुख और संकट की हर परिस्थिति में सरकार उनके साथ खड़ी है।

कोलौनी निवासी श्रीकृष्ण अश्वेठी मिश्रा को भी मुख्यमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपये की आर्थिक मदद का चेक प्रदान किया। श्रीमती अर्चुनी देवी के पिता सिद्धार्थ शंकर मिश्रा का निधन हो गया है और उन्हें अयुधजी की तरफ से यह पन्नास्थित मृतक आश्रित सहायता के रूप में दी गई।

स्टंटबाजी रोकने के लिए चला चेकिंग अभियान, 25 गाड़ियों सीज

संबाददाता-गोरखपुर। अगर आप सिरफर पी रहे हैं तो आपको उससे भी अधिक नतीले पदमं का रस लेना शुरू करें। यह चेकिंग अभियान के अंतर्गत चलाया जा रहा है।

बांलादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर सबके मुंह सिले हुए हैं -मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व है। आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो सबके मुंह सिले हुए हैं।

पंचकोसी परिक्रमा से पहले बनकर तैयार हो जाएणा फोर लेन पंचकोसी परिक्रमा मार्ग

नवंबर माह के दौरान आयोजित होने वाली पंचकोसी परिक्रमा से पहले बनारस जा रहे फोर लेन परिक्रमा मार्ग का निर्माण शुरू कर दिया गया है।

अदालती नोटिस

समन बरगज इनाफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्रा 200 ई0)


तारीख पेशी 14-08-2024

वार्डों हो कि आपने नाम एक नए बस्ती बाजार दाखल है। लिखाजा आपको हुडम होता है कि आप बतारीख 14 माह 08 सन 2024 ई0 बखत 10 बजे दिन बमुकाम असालतला या माफतल वकीले के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई अधिक किया गया हो।

क्षेत्रीय कार्यालय उपनिदेशक (निर्माण)

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उ0प्र0 नवीन मण्डी स्थल-बस्ती पत्रांक निर्माण/निविदा/बस्ती /2024-138 दिनांक 09.8.2024 ई-निविदा सूचिका

लड़की का अपहरण करके घर वालों को मंदिर बुलाया, फिर माता-पिता के सामने ही भरी बेटी की मांग में सिंदूर



संबाददाता-गोरखपुर। जिले एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक युवक ने लड़की का अपहरण कर लिया।

जमीन विवाद में भाइयों में मारपीट, सात के खिलाफ मुकदमा

संबाददाता-गोरखपुर। गुरुद्विती के जंगल एकला नगर दो टोला प्रोबला निवासी मुसाफिर और राममनव से सात भाई हैं दोनों भाइयों के बंदरों को लेकर बुखारवा के भाई हैं दोनों फौ की तहरीर पर गुरुद्विती पुलिस ने सात के खिलाफ जूस दर्ज कर मामला को जांच कर रहा है।

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

तारीख पेशी 22-08-2024

प्रतिवादी ने आपके विरुद्ध के लिये यह सख्तियत किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 22-08-2024 को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपजमात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है।

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्रा 200 ई0)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

खोजबीन शुरू की गई। काफी मुशकिल के बाद पाता चला कि उसकी बेटी का अपहरण हुआ है। अपहरण करने वाले ने उसकी बेटी को अपनी रिश्तेदारों में रखा था।

तो शादी हो गई अब आप क्या करेंगे। पीड़िता की मां ने एसएसपी को बताया इस मामले की शिकायत लेकर धाने पहुंचे। उसकी शिकायत तो दर्ज कर ली गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

दहेज हत्या के तीन आरोपी गिरफ्तार

बांसवाड़ा पुलिस ने दहेज हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की प्रथमा पकड़ सत्यजिता, उसके पिता प्रदीप कुमार और मां गुड्डी के रूप में हुई है।

वीरगंगा फूलन देवी की 61वीं जयंती मनी

निषाद कल्याण समा के मण्डल अध्यक्ष कांग्रेस नेता दिलीप कुमार निषाद ने दहेज हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को कोर्ट में पेश किया।

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्रा 200 ई0)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

अदालती नोटिस

वाद के निपटारे के लिये समन (आर्डर 5 के नियम 1 और 5 व्या0प्र0 संहिता 1908)

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (गुरुद्विती)/ नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर हरिश्चंद्र बस्ती

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वच्छता प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिनिंग प्रेस वि0. नमो हल 1-4 A लौकिया कामपालेस जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प.प.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय